तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/6820/2006/बांरा अजीज नाजा बनाम गोपाल व सरकार	

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री खडग सिंह अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री एन.के.गोयल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहबाद के निर्णय दिनांक 29–8–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 गोपाल पुत्र कल्ला ने तहसीलदार किशनगंज के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 264रकबा 5बीघा 2 विस्वा ग्राम इकलेरा सागर उसकी खातेदारी का है जिस पर प्रार्थी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है इसलिये उसे बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे। प्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई तहसीलदार किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 13–1–06 से प्रार्थी को बेदखल करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहबाद के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–8–06 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पेटा तालाब की है जिस पर प्रार्थी के पिता का 30 साल से कब्जा चला आ रहा है तथा उन्होंने उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के न्यायालय में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। पेटा तालाब की आराजी को जो काश्त करता है, उसी के हक हकूक की मानी जाती है तथा वही उसका प्रीमियम देता है। उक्त आराजी के बाबत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।जब अप्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है तो उसके द्वारा अधिनियम की धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयें द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/6820/2006/बांरा अजीज नाजा बनाम गोपाल व सरकार	
	5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये निगरानी खारिज करने का तर्क प्रस्तुत किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उनकी खातेदारी की है। अप्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है जिस पर सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रखा है इसलिये अधिनियम की धारा 183 बी के तहत की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 5बीघा 2 विस्वा अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के बाबत प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है। लेकिन अधिनियम की धारा 183 बी के तहत त्वरित न्याय दिलाने के लिये संक्षिप्त कार्यवाही होती है। अपार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है जबकि प्रार्थी गैर अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसके द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिये अधिनियम की धारा 183 बी के तहत तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसकी विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विधिक रूप से पुष्टि की है। दोनें अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 8– अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	